

न्यायालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं० :- 77/2026

तरिखानी द्वारा धारा कांड सं० :- 04/2026



16.03.2026:-

आवेदकगण ① अमीत कुमार ② विनोद सिंह एवं ③ ब्रजेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने हेतु एक अलग से आवेदन दाखिल किया गया है। जो विद्वान लोक अभियोजक को हस्तगत करा दिया गया है।

वाद पुकारा गया। अभिलेख प्रस्तुत किया गया। उक्त पक्षों को सुना। न्यायाहित में अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के आधार पर निष्पादित किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को अभिलेखगार में जमा करें।

अस्वापित

15

प्रधान सत्र न्यायाधीश